

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0065 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/05/2024 12:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	406
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	467
7	भा दं सं 1860	468
8	भा दं सं 1860	471
9	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2014 Date To (दिनांक तक): 20/12/2019
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/05/2024 Time (समय): 10:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 01/05/2024 12:34:36 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 140 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM SEWA SAHKARI SAMITI, KANASAR, FALODHI JODHPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHAGIRATH RAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): JORARAM VISHNOI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1963

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HANUMAN NAGAR NEWA, BAAP, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE JALUWALA, POKRAN, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9950015047

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HAJARIRAM		पिता:KESARAM	1. AADRASH NAGAR, FALODI, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		89,54,100.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

89,54,100.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवारी श्री भागीरथराम पुत्र श्री जारोराम जाति विश्रोई उम्र 60 साल पेशा खेतीबाड़ी, निवासी जालूवाला तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर हाल निवासी हनुमान नगर (नेवा), तहसील बाप, जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय को इस आशय की प्रेषित, कि मैं ग्राम जालूवाला, तहसील पोकरण का रहने वाला हूँ तथा वर्तमान में मैं ग्राम हनुमान नगर (नेवा), तहसील बाप, जिला जोधपुर में रहता हूँ। वर्ष 2014-15 सवत् 2071-72 में अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण ग्राम सेवा सहकारी समिति, कानासर में खरीफ की फसल की राज्य सरकार से कुल अनुदान राशि 91,42,650 रूपये स्वीकृत होकर समिति को प्राप्त हुई थी, जिसमें व्यवस्थापक श्री राजाराम, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कानासर द्वारा 89,54,100 रूपये वितरण करना बताया गया तथा 1,88,550 रूपये अवितरित राशि शेष रहना बताई गई। स्वीकृत सूची क्रमांक 216 ग्राम कानासर में व्यवस्थापक श्री राजाराम द्वारा कृषक श्री शंकरलाल पुत्र श्री बलवंताराम निवासी भोजासर को स्वीकृत अनुदान राशि 4500 रूपये श्री शंकरलाल पुत्र श्री बलवंताराम निवासी नेवा जिसका नाम फसल खराबा स्वीकृत सूची क्रमांक 275 ग्राम नेवा पर दर्ज है, को गलत रूप से भुगतान किया गया। जबकि उक्त भुगतान इसी नाम के भोजासर निवासी अधिकृत व्यक्ति जिसकी जमीन कानासर सरहद में है, को होना चाहिए था। जिस वक्त अनुदान राशि वितरण की गई उस वक्त उक्त वास्तविक कृषक श्री शंकरलाल पुत्र श्री बलवंताराम निवासी भोजासर एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में ब्यावर जैल में बन्द था। इसी प्रकार श्री सगताराम पुत्र श्री गुलाबाराम उर्फ लूम्बाराम निवासी कानासर को 4500 रूपये फसल खराबा की अनुदान राशि स्वीकृत सूची क्रमांक 389 ग्राम कानासर संयुक्त खातेदारी खसरा नं. 1073 से स्वीकृत हुई थी। श्री सगताराम पुत्र श्री गुलाबाराम उर्फ लूम्बाराम की मृत्यु दिनांक 24.12.2000 को हो चुकी थी, जो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है उक्त स्वीकृत राशि 4500 रूपये ग्राम सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों द्वारा श्री मांगीलाल पुत्र श्री सगताराम, निवासी नेवा को सहकार समिति कानासर स्वीकृत सूची क्रमांक 389 का बताकर गलत तरीके से भुगतान दिया गया है जबकि उक्त मांगीलाल पुत्र श्री सगताराम को नेवा सूची क्रमांक 270 की अनुदान राशि दी जानी थी। नेवा निवासी मांगीलाल पुत्र सगताराम को उक्त मुआवजा राशि ग्राम कानासर संयुक्त खातेदारी खसरा नं. 1073 की स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान कर दी गई जो वास्तविक सगताराम पुत्र गुलाबाराम हेतु अधिकृत सगताराम के पुत्र जोराराम निवासी जालूवाला, पोकरण जिला जैसलमेर जिनकी कृषि भूमि कानासर में है, को की जानी थी। इसी प्रकार श्रीमती सुगनी देवी पत्नी बगडूराम, निवासी नेवा को फसल खराबा की अनुदान राशि 4500 रूपये स्वीकृत सूची क्रमांक 522 ग्राम नेवा खसरा नं. 591/2 के लिए स्वीकृत हुई थी उक्त स्वीकृत राशि 4500 रूपये ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा श्रीमती सुगनी पत्नी बगडूराम, निवासी कानासर को गलत तरीके से भुगतान की गई जबकि उक्त कानासर निवासी श्रीमती सुगनी के नाम कानासर एवं नेवा दोनों राजस्व ग्राम में कृषि भूमि नहीं थी और न ही फसल खराबा अनुदान सूची में उनका कहीं भी नाम ही था। उक्त मुआवजा राशि ग्राम नेवा के खसरा नं. 591/2 के लिए स्वीकृत होने के बावजूद कानासर निवासी श्रीमती सुगनी को भुगतान कर दी गई जबकि श्रीमती सुगनी के परिजनों की जमीन कानासर में आई हुई है और वह कानासर में ही सपरिवार रहती हैं। स्वीकृत मुआवजा वाली राशि श्रीमती सुगनी मूलतः नेवा की रहने वाली के पति श्री बगडूराम पुत्र गणपतराम अथवा पुत्रगण श्री हनुमानसिंह, विकास, प्रेमकुमार निवासीगण नेवा में से किसी को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समिति कानासर के अध्यक्ष श्री हजारीराम ने अन्य के साथ मिलकर षडयन्त्रपूर्वक फसल खराबा की स्वीकृत अनुदान राशि अधिकृत कृषकों या उनके

वारिसान को नहीं कर अन्य नाम/पिता-पति के मिलते-जुलते नाम वाले अपने चहेतों को अनाधिकृत मुआवजा राशि का भुगतान कर राजकोष हो हानि कारित की गई एवं अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुंचाया गया वगैरा शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद संख्या 364/2019 दिनांक 20.12.2019 पंजीबद्ध कर वास्ते जांच प्रेषित की गई। परिवाद जांच, बयानात गवाहान एवं प्राप्त दस्तावेजो से श्री हजारीराम अध्यक्ष व अन्य द्वारा मिली भगत कर षडयंत्र पूर्वक ग्राम सेवा सहकारी समिति कानासर, पचायत समिति बाप जिला जोधपुर व अन्य द्वारा वर्ष 2014-15 में कानासर जीएसएस पर खरीब की खराबा फसल अनुदान राशि का भुगतान वास्तविक कृषको को नहीं कर, उनके मिलते जुलते अन्य व्यक्तियों को नाम जो स्वीकृत सुची मे नाम नहीं होने के बावजूद भी भुगतान कर राजकोष को हानिकारित करते हुवे अपने चहेतो को अनुचित लाभ दिया जाकर अपराधिक कृत्य कर अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (a) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 406, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस का कारित करना पाये जाने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त रजिस्टार सहकारी समिति जोधपुर, खण्ड जोधपुर से श्री हजारीराम अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कानासर व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संसोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत पूर्वानुमोदन चाहने पर रजिस्टार सहकारी समिति जोधपुर, खण्ड जोधपुर के पत्र क्रमांक 488 दिनांक 13.02.2023 द्वारा श्री हजारीराम अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति कानासर के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुवे धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्वानुमोदन जारी किया गया है। अतः श्री हजारीराम पुत्र श्री केशाराम जाति विश्रोई निवासी गांव नेवा हाल निवास आदर्श नगर फलोदी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर तत्कालीन अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कानासर तहसील फलोंदी जिला जोधपुर व अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (a), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 406, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय सही/- (गोरधनराम) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर राज01.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोरधनराम, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(a), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 406, 409, 420, 467, 468, 471, व 120बी भादंस में आरोपी श्री हजारीराम पुत्र श्री केशाराम, निवासी गांव नेवा हाल निवासी आदर्श नगर फलोदी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कानासर, तहसील जोधपुर एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 04 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 319-23 दिनांक 01.05.2024 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2. अतिरिक्त रजिस्टार सहकारी समितियां, जोधपुर खंड, जोधपुर एवं सहकारिता विभाग, जोधपुर। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर। 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 364/19) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Paras Soni

Rank

(पद):

अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/08/1955				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)